प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक सेकेण्डरी स्कूल भरूहना धौरूपुर
मीरजापुर।

पत्रांक : मान्यता/ 16237-42 /2017—18 दिनांक 26-12-2017

विषय— नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पश्चातवतीपत्रचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर '' दिल्ली पब्लिक सेकेण्डरी स्कूल भरूहना धौरूपुर मीरजापुर'' को दिनांक 26.12.2017 ....से दिनांक 25.12.2020 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी 1 से 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान के करने के लिए संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) की उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा

iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आपेक्षा नही की जायेगी।

iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःषक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थीयों को प्रवेश दिया जाना।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती हैं परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं हैं पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगें।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं। और

viii. अध्यापक स्वयं किसी को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय में मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 4646 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र 3630 वर्ग मीटर

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल है

कक्षाओं की संख्या 20

प्राध्यापक– सहकार्यालय– सह भण्डार के लिए कक्ष – है

बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय– बालक / बालिका

पेयजय सुविधा हैं।

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– 01 कक्ष

बाधारहित पहुँच– हॉ

अध्यापन पठन साम्रगी / क्रीडा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकाय की उपलब्धता –उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नही चलायी जायेगी।

10. विद्यालय के भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल और कौशल के विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं।

11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा हैं।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E/NUPS/76//8 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।

17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

पृ०सं० मान्यता / 16237-42 / उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।
2. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्य/पिछड़ा वर्ग/ जिला विकलांग अधिकारी मीरजापुर।
5. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/नगर शिक्षा अधिकारी/संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी) मीरजापुर।
6. कार्यालय प्रति।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।